बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री राजेश कुमार भगत (कोटि क्रमांक–406/2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, विद्यापतिनगर, समस्तीपुर के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या–023/2026 दिनांक–23.02.2026 दर्ज होने तथा इस क्रम में निगरानी धावा–दल द्वारा दिनांक–24.02.2026 को परिवादी से 10,000/– (दस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी प्राप्त सूचना एवं गंभीर आरोप के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–1476 दिनांक–25.03.2026 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(1)(क)(ग) एवं 9(2)(क) में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री भगत को कारा–निरोध की तिथि यथा–24.02.2026 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. उल्लेखनीय है कि श्री भगत द्वारा न्यायिक हिरासत से रिहा होने के उपरान्त दिनांक–21.05.2026 को उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में योगदान समर्पित किये जाने के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–3208 दिनांक–17.06.2026 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(3)(i) में निहित प्रावधान के तहत इनके द्वारा दिनांक–21.05.2026 को समर्पित योगदान को स्वीकृत करते हुए उक्त तिथि से ही इन्हें निलंबन से मुक्त किया गया।

3. चूँकि श्री भगत के विरूद्ध प्रतिवेदित मामला रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने से संबंधित है, जो अत्यन्त गंभीर/घोर कदाचार की श्रेणी में आता है तथा उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के सर्वथा प्रतिकूल है।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(3)(ii) में निहित प्रावधानों के आलोक में नियम–9 के उप नियम–(1)(क) एवं (ग) के तहत श्री राजेश कुमार भगत (कोटि क्रमांक–406/2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, विद्यापतिनगर, समस्तीपुर सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को आदेश निर्गत की तिथि से पुनः निलंबित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में श्री भगत का मुख्यालय जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कार्यालय, बांका निर्धारित रहेगा।

6. श्री भगत को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–10 में निहित प्रावधानों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

7. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\2025\Suspension Order\Rajesh Kr. Bhagat_1.doc

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(समस्तीपुर)–08 / 2026 3211 / खाद्य, पटना / दिनांक 17/06/2026

प्रतिलिपि–1. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर / जिला पदाधिकारी, बांका तथा समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बांका तथा समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–सह–आयुक्त के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. जिला कोषागार पदाधिकारी, बांका तथा समस्तीपुर / अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. अवर सचिव, प्रशाखा–03 एवं आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. श्री राजेश कुमार भगत (कोटि क्रमांक–406 / 2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, विद्यापतिनगर, समस्तीपुर सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि में मुख्यालय–जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कार्यालय, बांका), मोबाईल संख्या–8678858251, E-Mail : rajeshravibhagat@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\2025\Suspension Order\Rajesh Kr. Bhagat_1.doc